



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
जल निगम कॉलोनी, गोफियारा, उत्तरकाशी - 249193**

Email:- eecduttarkashi@gmail.com

☎ (ऑफिस) : 01374-223648

फैक्स : 01374-223648

मो०नं०: 7830500817

सेवा में,

आनलाईन एवं डॉक द्वारा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट, उत्तरकाशी।

पत्रांक 2576 / 423 / 48 दिनांक 12 - 09 - 2017

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत स्यालब सुकण पेयजल योजना हेतु 0.4268 है. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी को 15 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- 1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2025/12-1 (1), दि० 07.04.2017.
2. आपका कार्यालय पत्रांक 2436/12-1, दिनांक 11.04.2017.

महोदय,

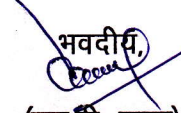
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र में उल्लिखित चार बिन्दुओं में से बिन्दु 01 एवं 02 इस कार्यालय से तथा बिन्दु 03 एवं 04 आपके कार्यालय से सम्बन्धित हैं।

अतः इस कार्यालय से सम्बन्धित बिन्दु 01 एवं 02 की निम्नानुसार निराकरण आख्या/कार्यवाही आपको प्रेषित की जा रही है।

क्र.सं.	आपत्तियां	निराकरण
01	02	03
1	Online part I के बिन्दु संख्या C (iv) में हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Google earth Map अपलोड किया गया है, जो कि तकनीकी रूप से मान्य नहीं है। GIS generated geo referenced map अपलोड किया जाय व मैप की हार्ड कॉपी भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।	GIS generated geo referenced map ऑनलाईन अपलोड करने के उपरान्त चार प्रतियों (हार्डकापी) में आपको संलग्न कर प्रेषित है।
2	Part I के बिन्दु संख्या D (i) में "Copy of note containing justification for locating the project in forest land" के स्थान पर Google earth Map अपलोड किया गया है। निर्धारित स्थान पर वांछित अभिलेख अपलोड किया जाय।	"Copy of note containing justification for locating the project in forest land" में वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है, एवं हार्ड कापी हेतु चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है, कि आपके कार्यालय से सम्बन्धित बिन्दु 03 एवं 04 पर कार्यवाही करते हुये आपत्ति निराकरण/पत्रावली सक्षम अधिकारी को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उक्तानुसार (चार प्रतियों में)


(एस.पी. गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्रीमती वन्दना रानी, अपर सहायक अभियन्ता/ऑनलाईन प्रभारी को इस आशय से कि ऑनलाईन प्राप्त होने वाली कमियों के निराकरण में कदापि विलम्ब नहीं करते हुये तत्काल निराकरण करवाना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता